

अध्याय II

निष्पादन लेखापरीक्षा

इस अध्याय में नर्मदा नहर परियोजना में सिंचाई क्षमता का सृजन पर निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है।

जल संसाधन विभाग

2.1 नर्मदा नहर परियोजना में सिंचाई क्षमता का सृजन

कार्यकारी सारांश

राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना को भारत सरकार द्वारा मार्च 2003 की निर्धारित पूर्णता तिथि के साथ अनुमोदित (जनवरी 1996) किया गया। कृषि योग्य कमान क्षेत्र 1.35 लाख हैक्टर लिया गया। बाटर एण्ड पावर कन्सलटेन्सी सर्विसेस लिमिटेड के निष्कर्षों के आधार पर फब्बारा/ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग करते हुए दबाब सिंचाई को अनिवार्य बनाया गया तथा कृषि योग्य कमान क्षेत्र को 1.35 लाख हैक्टर से बढ़ाकर 2.46 लाख हैक्टर कर दिया गया। इसके अलावा, जल भराव को रोकने हेतु, जैव-जल निकासी हेतु नहर किनारे वृक्षारोपण, सतही एवं भूमिगत जल के संयुक्त उपयोग को प्रस्तावित किया गया।

सिंचित क्षेत्र 2.15 लाख हैक्टर (87.40 प्रतिशत) दर्शाया गया जबकि मार्च 2016 तक मात्र 1193 डिग्गियाँ (55 प्रतिशत) का विद्युतीकरण किया गया। इससे प्रदर्शित होता है कि सिंचित दिखाया गया कमान क्षेत्र वास्तव में फब्बारा या ड्रिप सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचित नहीं किया गया था। किसानों द्वारा अपने पम्पों द्वारा माइनरों से पानी की व्यवस्था कर किये गये सिंचित क्षेत्र को गलती से सिंचाई क्षमता विकसित करने की उपलब्धि में शामिल किया गया बजाय सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचित क्षेत्र को। नहर, वितरिकाओं एवं माइनरों के निर्माण हेतु अधिगृहित की गई भूमि का जल संसाधन विभाग के पक्ष में उत्परिवर्तन नहीं किया गया।

2236 गठित की जाने वाली जल उपभोक्ता संगठनों में से केवल 2145 संगठनों का गठन किया गया तथा 1885 संगठनों को संपत्तियां यथा डिग्गियां, पाईपलाईन एवं मोनो ब्लॉक पम्प सौंपे गये। वितरिका एवं परियोजना समितियों का किसी भी जलग्रहण क्षेत्र में गठन नहीं किया गया।

इसके अलावा, डिग्गियों के विद्युतीकरण (45 प्रतिशत) एवं जल शुल्क संग्रहण के अभाव में बड़े पैमाने पर जल उपभोक्ता संगठन गैर-क्रियाशील रहे। सहभागितापूर्ण सिंचाई प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 'राजस्थान में सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में किसानों की भागीदारी का अधिनियम, 2000' के अन्तर्गत बनाए गए नियमों में आवश्यक संशोधन नहीं किए गए। जल शुल्क की कम वसूली, वसूली का अभाव, जल संसाधन विभाग की निगरानी की कमी को प्रदर्शित करता है। नर्मदा मुख्य नहर, इसकी वितरिकाओं एवं माइनरों को नजदीकी किसानों, जो कि अपने पंपों द्वारा नहरों से सीधे पानी लेकर अपने खेतों की सिंचाई कर रहे थे, से पानी की चोरी की समस्या का सामना करना पड़ा।

पौधारोपण की कमी एवं परियोजना प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रजातियों के स्थान पर अन्य प्रजातियों के पौधों के रोपण के कारण, कमान क्षेत्र में जैव-जल निकासी का उद्देश्य बाधित रहा। इसके अलावा, निचले इलाकों में सतही जल एवं भूमिगत जल के संयुक्त उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

परिचय

नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान एवं गुजरात राज्य की साझेदारी वाली अन्तर्राज्यीय परियोजना है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा नर्मदा नहर की कुल 28 मिलियन एकड़ फीट उपयोग योग्य जल की मात्रा में से राजस्थान का वार्षिक हिस्सा 0.5 मिलियन एकड़ फीट तय किया गया था। भंडारण जलाशय 'सरदार सरोवर बांध' जहां से नर्मदा नहर प्रारंभ होती है, गुजरात में स्थित है तथा 458 किमी गुजरात में बहने के बाद जालौर जिले की सांचौर तहसील के सीलू गांव के पास से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान की सीमा पर नहर की निर्वहन क्षमता 73.5 घनमीटर/सेकण्ड है। राजस्थान में मुख्य नहर की कुल लम्बाई 74 किमी है। इसमें नौ प्रमुख वितरिकाएं हैं तथा मुख्य नहर, वितरिकाओं तथा द्वितीयक नहर प्रणाली की कुल लम्बाई 1792.67 किमी है। नर्मदा नहर परियोजना में अन्य परियोजनाओं की तुलना में कुछ अद्वितीय विशेषताएं हैं:

- सिंचाई हेतु पानी जल उपभोक्ता संगठनों के माध्यम से किसानों के संघ को दिया जाना है न कि व्यक्तिगत किसानों को।
- क्षेत्र में पानी के चैनलों के संचालन एवं रख रखाव हेतु जल उपभोक्ता संगठन जिम्मेदार है।

- पानी के समुचित उपयोग हेतु ड्रिप एं फब्बारा सिंचाई प्रणाली जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की परिकल्पना की गई है।

राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना को भारत सरकार द्वारा मार्च 2003 की पूर्णता तिथि के साथ ₹ 467.53 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ अनुमोदित (जनवरी 1996) किया गया था। कृषि योग्य कमान क्षेत्र 1.35 लाख हैक्टर लिया गया था। सिंचाई की विधि के रूप में प्रवाह सिंचाई प्रणाली को अपनाया गया। इस प्रणाली में पानी की निकासी 7.41 क्यूसेक¹ प्रति एक हजार एकड़ ली गई।

पर्यावरण एं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिये गए सुझावों के आधार पर, एक पर्यावरण कार्य योजना तैयार करनी थी तथा निर्माण कार्य के साथ-साथ समरूप में लागू करनी थी। पर्यावरण प्रभाव आंकलन, भूजल गुणवत्ता एं जल निकासी डिजाईन सम्बंधी अध्ययन वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (वेपकॉस) द्वारा किया गया तथा प्रतिवेदन सितम्बर 1998 में प्रस्तुत किया गया जो परिकल्पित करता है कि:

- स्थिर भूजल सतह उच्च है तथा नेड² क्षेत्र, जहां मीठा भूजल खारे भूजल के ऊपर संकीर्ण मोटाई की सीट के रूप में बहता है, में भी अधिक है,
- क्षेत्र में मिट्टी खारी/क्षारीय है, और
- नहर सिंचाई से ज्यादातर कमान क्षेत्रों में कुछ वर्षों में जल भराव हो सकता है जिससे उपजाऊ भूमि कृषि के अयोग्य हो सकती है।

वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के निष्कर्षों के आधार पर, सम्पूर्ण कमान क्षेत्र में जल भराव को रोकने हेतु फब्बारा/ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग करते हुए दबाव सिंचाई को अनिवार्य बनाया गया। कृषि योग्य कमान क्षेत्र को 1.35 लाख हैक्टर से बढ़ाकर 2.46 लाख हैक्टर किया गया तथा सिंचाई हेतु जल निकासी 7.41 क्यूसेक प्रति हजार एकड़ से घटाकर 1.31-2.51 क्यूसेक किया गया। जल भराव को रोकने हेतु, जैव-जल निकासी हेतु नहर किनारे वृक्षारोपण एं सतही जल तथा भूमिगत जल के संयुक्त उपयोग को भी प्रस्तावित किया गया था।

कार्य के स्कोप में संशोधन (1.35 लाख हैक्टर से 2.46 लाख हैक्टर) एं कार्य की अतिरिक्त मदों जैसे- डिग्गियों³ का निर्माण एं विद्युतीकरण, पाईपलाइनों को बिछाना एं पंपों की स्थापना, कुओं का निर्माण एं नहर किनारे वृक्षारोपण आदि


¹ घन फीट प्रति सेकण्ड

² लूनी नदी का डेल्टा क्षेत्र

³ जल संग्रहण टैक

के कारण परियोजना की संशोधित लागत ₹ 1541.36 करोड़ हो गई (अगस्त 2007)। कार्य की पूर्णता तिथि मार्च 2014 निर्धारित की गई थी। इसके बाद परियोजना की लागत को मजदूर, सामग्री, ईंधन आदि की दरों में असामान्य वृद्धि होने के कारण संशोधित (जुलाई 2010) कर ₹ 2481.49 करोड़ किया गया तथा पूर्णता तिथि को अग्रिम कर मार्च 2013 कर दिया। ₹ 2481.49 करोड़ की संशोधित लागत के विरुद्ध, मार्च 2016 तक ₹ 2368.90 करोड़ का व्यय किया गया। विभाग द्वारा परियोजना को पूर्ण करने के लिए मार्च 2017 तक की वृद्धि चाही गई है।

परियोजना का पत्तो-चार्ट



संगठनात्मक ढांचा

राज्य स्तर पर सचिव, जल संसाधन विभाग का प्रशासनिक प्रमुख है। विभागीय स्तर पर, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग तकनीकी मामलों हेतु अतिरिक्त सचिव का कार्य करता है क्षेत्रीय स्तर पर नर्मदा नहर परियोजना हेतु सांचौर में एक मुख्य अभियंता है। इसमें छ:⁴ खण्ड कार्यालय है जिनके प्रमुख अधिशासी अभियंता है एवं जिनकी निगरानी हेतु दो अधीक्षण अभियंता है।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना में सृजित सिंचाई क्षमता की निष्पादन लेखापरीक्षा निम्न का आंकलन करने हेतु की गई थी कि क्या:

- फव्वारा/ड्रिप सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई क्षमता, जो कि परिकल्पित की गयी थी, को तैयार किया गया एवं उपयोग किया गया;
- सहभागितापूर्ण सिंचाई प्रबंधन गतिविधियां, ‘राजस्थान में सिंचाई के प्रबंधन में किसानों की भागीदारी अधिनियम, 2000’ के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही थी;

⁴ अधिशासी अभियंता, नर्मदा नहर परियोजना खण्ड-I, नर्मदा नहर परियोजना खण्ड-II, नर्मदा नहर परियोजना खण्ड-III, नर्मदा नहर परियोजना खण्ड-IV, नर्मदा नहर परियोजना खण्ड-V एवं क्षेत्रीय कार्यशाला, नर्मदा नहर परियोजना, सांचौर

- जैव-जल निकासी एवं सतही जल व भूमिगत जल का संयुक्त उपयोग जैसी गतिविधियां प्रभावी ढंग से लागू की गई थी; एवं
- वित्तीय नियंत्रण एवं निगरानी प्रभावी थी।

लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्न स्त्रोतों से प्राप्त किये गए:

- नर्मदा नहर परियोजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
- लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम
- राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम
- जल संसाधन विभाग/नर्मदा नहर परियोजना की वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
- राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन में किसानों की भागीदारी अधिनियम, 2000

कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि 2011-12 से 2015-16 तक के क्षेत्र अध्ययन का कार्य मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर, मुख्य अभियंता, नर्मदा नहर परियोजना, सांचौर तथा अधिशासी अभियंता, नर्मदा नहर परियोजना, सांचौर के कार्यालयों में की गयी। इसके अलावा, उप वन संरक्षक, जालौर एवं बाड़मेर के अभिलेखों की भी जांच की गई क्योंकि वृक्षारोपण हेतु इन उप वन संरक्षकों को कोष आवंटित किये गए थे।

निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली की प्रारंभिक बैठक सचिव, जल संसाधन विभाग जयपुर, के साथ (अप्रैल 2016) की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा समापन बैठक में अतिरिक्त सचिव सह मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के साथ (अक्टूबर 2016) की गई थी। प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने से पूर्व, राज्य सरकार से प्राप्त उत्तर (अक्टूबर 2016) को शामिल कर लिया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.1 फव्वारा/द्विप सिंचाई के माध्यम से सिंचाई

मूल रूप से नर्मदा नहर परियोजना में प्रवाह सिंचाई प्रणाली को अपनाया गया था। ऊपर वर्णित वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के निष्कर्षों के आधार

पर, फव्वारा/ड्रिप सिंचाई प्रणाली द्वारा दबाव सिंचाई को संपूर्ण कमान क्षेत्र में अनिवार्य किया गया।

2.1.1.1 परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पित कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का अनुपयोग

नर्मदा नहर परियोजना की अद्वितीय विशेषताओं में से एक फव्वारा एवं ड्रिप सिंचाई प्रणाली जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को अपनाना था। पानी के कुशल उपयोग हेतु परियोजना प्रतिवेदन में इसकी परिकल्पना की गई थी। नहर, डिगियों एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना सम्बन्धी सभी सिविल एवं यांत्रिकी कार्यों के पूर्ण होने के बाद ही क्षेत्र को कृषि योग्य कमान क्षेत्र के रूप में माना जाना था।

खण्डों की प्रगति प्रतिवेदनों से पता चला कि सिविल कार्य⁵ 97.32 प्रतिशत की सीमा तक तथा यांत्रिकी कार्य⁶ 88.06–96.02 प्रतिशत की सीमा तक पूर्ण किए गए (मार्च 2016)। सिंचित कृषि योग्य कमान क्षेत्र कुल कमान क्षेत्र 2.46 लाख हैक्टर के विरुद्ध 2.15 लाख हैक्टर (87.40) दर्शाया गया था। तथ्य यह है कि 2.15 लाख हैक्टर सिंचित दिखाया गया क्षेत्र सही नहीं था क्योंकि 2183 पूर्ण डिगियों में से मार्च 2016 तक मात्र 1193 डिगियां (55 प्रतिशत) ही विद्युतीकृत हो पाई थीं। सिंचित कृषि योग्य कमान क्षेत्र में किसानों द्वारा फव्वारा/ड्रिप सिंचाई प्रणाली के स्थान पर अपने पंपों द्वारा माइनरों से पानी लेकर की गई सिंचाई के क्षेत्र को गलती से शामिल कर लिया गया। डिगियों के अविद्युतीकरण (45 प्रतिशत) के कारण, परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पित सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं हो पाया।

राज्य सरकार ने बताया कि सिंचित क्षेत्र 2006 में 0.18 लाख हैक्टर से बढ़कर 2016 में 1.60 लाख हैक्टर हो गया था परंतु ग्रामीणों में शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ापन तथा आपस में सामंजस्य एवं विश्वास की कमी के कारण डिगियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका। यह भी बताया गया कि डिगियों के विद्युतीकरण की गति को बढ़ाने के लिए विभागीय स्तर पर अधिकतम प्रयास किये जा रहे थे। राज्य सरकार का उत्तर प्रगति प्रतिवेदन में दर्शाए गए तथ्य कि 2.15 लाख हैक्टर कृषि योग्य कमान क्षेत्र को सिंचित किया गया से विरोधाभासी है। सिंचित कृषि योग्य कमान क्षेत्र में केवल फव्वारा एवं ड्रिप सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचित वास्तविक क्षेत्र को ही शामिल किया जाना चाहिए था।

⁵ डिगियों, पंपरूम, सम्प वैल, बाउंड्री वाल आदि का निर्माण।

⁶ पाइप लाइनों की आपूर्ति, बिछाना, जोड़ना, जांच करना एवं चालू करना तथा मोनो ब्लॉक पंपों की स्थापना।

डिगियों के विद्युतीकरण के अभाव में कृषि योग्य कमान क्षेत्र को प्रवाह प्रणाली द्वारा सिंचित किया जा रहा था। पानी के ज्यादा आहरण द्वारा सतही जल के अत्यधिक पुनर्भरण के कारण जल भराव का खतरा बढ़ गया जिससे पानी के समुचित उपयोग एवं जल भराव को रोकने का उद्देश्य विफल रहा।

यह सिफारिश की जाती है कि नहर कार्यों के साथ-साथ ही विद्युतीकरण कार्य को क्रियान्वित किया जावे। शेष डिगियों (45 प्रतिशत) को प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकृत किया जावे।

2.1.1.2 नहर निर्माण से पूर्व कृषि योग्य कमान क्षेत्र की वास्तविक उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं किया गया

भीमगुडा वितरिका की सुराचंद मार्ईनर, जिसकी जल निकासी क्षमता 0.715 क्यूमेक्स⁷ है, का निर्माण ₹ 3.71 करोड़ की लागत के साथ सितंबर 2011 में पूर्ण किया गया था। इस मार्ईनर हेतु प्रस्तावित कृषि योग्य कमान क्षेत्र 6369.31 हैक्टर था तथा कमान क्षेत्र में 51 डिगियों का निर्माण किया जाना था।

इस मार्ईनर के पानी को सिंचाई के उपयोग में लेने हेतु वितरण तंत्र के बिछाने, जोड़ने, जांचने एवं चालू करने का कार्य आवंटित (फरवरी 2011) किया गया था। कार्य 4 मार्च 2012 को पूर्ण होना तय था। जब संवेदक ने कमान क्षेत्र में पाईप लाईन बिछाने की ड्राईंग एवं डिजाइन प्रस्तुत की। यह पाया गया कि 25 डिगियों के क्षेत्र को आच्छादित करने वाला 3391.04 हैक्टर कृषि योग्य कमान क्षेत्र राजकीय भूमि मे था। इन डिगियों के कमान क्षेत्र में, फव्वारा सिंचाई प्रणाली विकसित नहीं की जा सकी। शेष क्षेत्र (2978.27 हैक्टर) में, पाईप लाईन बिछाने, पंप सेटों की स्थापना एवं 26 डिगियों के निर्माण का कार्य अक्टूबर 2015 तक ₹ 4.93 करोड़ की राशि के साथ संपादित किया गया।

यह दर्शाता है कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने से पूर्व, कार्यस्थल पर कृषि योग्य कमान क्षेत्र की वास्तविक उपलब्धता की जांच सम्बंधी उचित सर्वेक्षण नहीं किया गया तथा बिना उचित योजना एवं डिगियों की वास्तविक आवश्यकता को जांचे बिना सुराचंद मार्ईनर का निर्माण कर दिया गया। उच्च निकासी क्षमता की नहर के निर्माण के कारण परिहार्य व्यय किया गया। मार्ईनर पर किये गए परिहार्य व्यय की गणना लेखापरीक्षा के दौरान नहीं की जा सकी क्योंकि मार्ईनर का निर्माण काफी समय पूर्व किया गया था।

⁷ घनमीटर प्रति सेकण्ड

राज्य सरकार ने बताया कि परियोजना की स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में सलाहकार संस्थाएँ द्वारा निर्धारित कृषि योग्य कमान क्षेत्र को ही प्रत्येक डिग्गी हेतु लिया गया था। इस मामले में, जब सलाहकार द्वारा तय किये सरेखण के आधार पर उच्च घनत्व वाली पॉलिथीलीन (एच.डी.पी.इ.) पाईप लाईन बिछाने का कार्य प्रारंभ किया गया, तब विभाग ने पहली बार देखा कि 51 में से 25 डिग्गियों का क्षेत्र या तो वन क्षेत्र में अथवा क्षारीय था, परंतु इससे पूर्व ही सुराचंद माईनर का निर्माण पूर्ण हो चुका था।

2.1.1.3 सिविल एवं यांत्रिकी कार्यों को अलग-अलग आवंटित करने से किसानों का पांच वर्षों से अधिक समय तक सिंचाई लाभ से वंचित रहना

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जल संसाधन परियोजनाओं की निगरानी हेतु जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देशों (1998) के पैरा 14(vi) में परिकल्पना की गई थी कि कमान क्षेत्र विकास की योजना इस प्रकार तैयार एवं लागू की जानी चाहिए कि सिंचाई क्षमता के निर्माण एवं उपयोग में समय का अंतर कम से कम हो। इसका मतलब यह था कि परियोजना पर किया गया व्यय, किसानों को सुनिश्चित एवं स्थाई सिंचाई लाभ के रूप में चिरस्थायी परिणाम के रूप में परिवर्तित हो सके।

यह देखा गया था कि विभिन्न माईनरों/उप माईनरों के सिविल कार्य फरवरी 2007 एवं अक्टूबर 2009 के मध्य आवंटित किए गए थे तथा वर्ष 2011 में पूर्ण किए गए थे। परन्तु दिसंबर 2007 एवं नवंबर 2008 के मध्य आवंटित यांत्रिकी कार्य अलग से अन्य संवेदकों को आवंटित किए जाने के कारण पूर्ण नहीं हो सके थे (मई 2016)। इसके कारण सिविल कार्यों पर राशि ₹ 72.11 करोड़⁸ अवरुद्ध रही तथा किसानों सुनिश्चित एवं स्थाई सिंचाई लाभ से पांच वर्षों तक वंचित रहे। यह भी देखा गया कि बाद में जल संसाधन विभाग द्वारा जारी आदेश (जुलाई 2010) की अनुपालना में सिविल एवं यांत्रिकी कार्य एकल निविदा दाता को एक साथ ही टर्न-की आधार पर आवंटित किए गए। केन्द्रीय जल आयोग के दिशानिर्देशों की पालना में यदि सिविल एवं यांत्रिक कार्य को एक साथ ही एकल निविदा दाता को आवंटित करने का निर्णय जल संसाधन विभाग द्वारा पूर्व में ले लिया जाता तो सिविल कार्यों पर राशि के अवरोधन को रोका जा सकता था तथा किसानों को सिंचाई का लाभ पहुंचाया जा सकता था।

⁸ मै. टहल कन्सलटेंसी

⁹ खण्ड-I ₹ 17.29, II- ₹ 15.24, III ₹ 21.06, IV- ₹ 11.26, V- ₹ 7.26

राज्य सरकार ने बताया कि सिविल एवं यांत्रिकी कार्यों को अलग-अलग संवेदकों को आवंटित करने से सिविल एवं यांत्रिकी संवेदकों में समन्वय की कमी रही तथा परिणामस्वरूप, 2010-11 से सिविल एवं यांत्रिकी कार्य संयुक्त रूप से आवंटित किए गए। यह भी बताया गया कि 2008-12 के दौरान सिविल कार्यों के पूर्ण हो जाने के कारण नहर के उपलब्ध पानी का उपयोग किया गया। तथापि तथ्य यह शेष रहा कि किसानों को अपने पंपों द्वारा पानी का उपयोग करना पड़ा तथा परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पित किया गया सिंचाई लाभ किसानों को समय पर नहीं पहुंचाया गया।

2.1.1.4 कार्य आवंटन से पूर्व भूमि-अवाप्ति नहीं किए जाने के कारण कार्यों का अधूरा रहना

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 298 एवं 351 के अनुसार भूमि की उपलब्धता पूर्व अपेक्षित है तथा इसका पूर्व में ही अधिग्रहण कर लेना चाहिए। जो भूमि भौतिक रूप से कब्जे में नहीं हो अथवा जिसे उत्तरदायी सिविल अधिकारी द्वारा हस्तांतरित नहीं किया गया हो उस पर कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए।

यह देखा गया कि मालवार उप माईनर एवं करावडी माईनर के अर्थवर्क, एकल प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट (पी.सी.सी.) ब्लॉक लाईनिंग, पक्का स्ट्रक्चर, डिगिंगयों, पंप रूम, सम्प वैल एवं चारदीवारी का कार्य राशि ₹ 1.33 करोड़ में संवेदक को आवंटित (फरवरी 2010) किया गया था। कार्यप्रणाली की निर्धारित तिथि नवंबर 2010 थी। भू-स्वामी द्वारा बाधा खड़ी करने एवं अदालत से स्थगन आदेश प्राप्त करने के कारण करावडी माईनर का कार्य निर्धारित समय में पूर्ण नहीं हो सका था। मामले को अंतिम रूप नहीं दे पाने के कारण, अनुबंध की धारा 32 के तहत कार्य को आहरित (अप्रैल 2011) कर लिया गया। 84 प्रतिशत पूर्ण कार्य के लिए संवेदक को राशि ₹ 1.12 करोड़ का भुगतान किया गया। इसके बाद, पांच साल के अंतराल के बाद, करावडी माईनर के शेष कार्य को 19 सितंबर 2015 की पूर्ण होने की तिथि के साथ राशि ₹ 20.88 लाख में अन्य संवेदक को आवंटित (जून 2015) किया गया। संवेदक को राशि ₹ 11.95 लाख का भुगतान (मार्च 2016) किया गया।

कार्य प्रारंभ करने से पूर्व भूमि उपलब्धता को सुनिश्चित करने के शाषी नियमों की पालना नहीं करने के कारण कार्य में पांच वर्ष से अधिक समय की देरी हुई। इससे किसानों को सिंचाई लाभ पहुंचाने में भी देरी हुई।

राज्य सरकार ने बताया कि भूमि का अवार्ड जारी होने के बाद ही कार्य आवंटित किये गये थे परंतु अदालत के स्थगन आदेश एवं सितम्बर 2016 तक किसानों द्वारा जमीन खाली नहीं करने के कारण कार्य अपूर्ण रहे। तथ्य यह है कि कार्यों को जमीन का स्पष्ट टाईटल प्राप्त किये बिना ही आवंटित कर दिया गया था।

2.1.1.5 भूमि का गैर-उत्परिवर्तन

विभाग द्वारा विभिन्न नहरों/वितरिकाओं/मार्झनरों/उपमार्झनरों आदि के निर्माण हेतु 4833.353 हैक्टर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। मार्च 2016 तक राशि ₹ 65.45 करोड़ का मुआवजा दिया गया था परंतु विभाग के नाम में भूमि का उत्परिवर्तन नहीं किया गया। नतीजतन, अधिगृहित भूमि का विभाग के नाम में स्पष्ट टाईटल नहीं आ पाया।

राज्य सरकार ने बताया कि अधिगृहित भूमि के उत्परिवर्तन की प्रक्रिया प्रगतिरत है।

यह सिफारिश की जाती है कि किसी भी संभावित अतिक्रमण एवं कानूनी अड़चनों से बचने हेतु अधिगृहित भूमि को शीघ्र से शीघ्र विभाग के नाम में उत्परिवर्तित किया जावे।

2.1.2 सहभागितापूर्ण सिंचाई प्रबंधन गतिविधियाँ

किसानों के मध्य पानी के वितरण को नियंत्रित करने के लिए राजस्थान में सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में किसानों की भागीदारी का अधिनियम, 2000 पेश किया गया था तदनुसार किसी भी सिंचाई परियोजना के कमान क्षेत्र में किसानों के संगठन को गठित किया जाना था। सिंचाई प्रणाली के संचालन एवं प्रबंधन के लिए, प्राथमिक स्तर¹⁰ पर किसानों के निर्वाचित निकायों अर्थात् जल उपभोक्ता संगठनों को, द्वितीयक स्तर पर वितरण समिति¹¹ एवं परियोजना स्तर पर परियोजना समिति¹² का गठन किया जाना था। राजस्थान सरकार ने इस अधिनियम के अन्तर्गत, नियम 2002 भी बनाए थे।

¹⁰ सिंचाई प्रणाली के साथ-साथ वितरिका एवं खेत की नालियों के प्रबंधन, विस्तार, सुधार, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण की योजना तैयार करने हेतु।

¹¹ वितरिकाओं एवं मध्यम नालियों दोनों के विस्तार, सुधार, नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं वार्षिक मरम्मत के परिचालन की योजना तैयार करने हेतु।

¹² प्रमुख नालियों के साथ-साथ सिंचाई प्रणाली के विस्तार, सुधार, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण एवं वार्षिक मरम्मत की योजना को मंजूर करने हेतु।

2.1.2.1 सहभागितापूर्ण सिंचाई प्रबंधन का अभाव

राजस्थान में सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में किसानों की भागीदारी अधिनियम (अधिनियम) की धारा 4 के अनुसार, प्रत्येक जल उपभोक्ता क्षेत्र के लिए एक जल उपभोक्ता संगठन होगा जिसमें उस क्षेत्र में आने वाले भूमि स्वामी, जल उपभोक्ता के रूप में सदस्य होंगे। अधिनियम की धारा 17 अपेक्षा करती है कि सिंचाई प्रणाली के रख-रखाव, विस्तार, सुधार, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण, विभिन्न निर्माओं के मध्य पानी के उपयोग को नियमित करने, पानी के समुचित प्रयोग को बढ़ावा देने, सिंचाई में जल के प्रवाह की निगरानी करने आदि की योजना तैयार करना एवं कार्यान्वित करने का कार्य जल उपभोक्ता संगठन करेगा। इसी प्रकार, अधिनियम की धारा 6 एवं 8 के अनुसार, अधिनियम की धारा 18 एवं 19 में दिए गए कार्यों के निष्पादन के लिए, दो या अधिक जल उपभोक्ता क्षेत्रों के लिए एक वितरण समिति एवं परियोजना क्षेत्र के लिए एक परियोजना समिति का गठन किया जावेगा।

- यह देखा गया कि 2236 गठित की जाने वाली जल उपभोक्ता संगठनों के विरुद्ध केवल 2145 जल उपभोक्ता संगठन का गठन (मार्च 2016) किया गया तथा केवल 1885 जल उपभोक्ता संगठनों को परिसम्पत्तियों को सौंपा गया था। डिगिग्यों के विद्युतीकरण (45 प्रतिशत) एवं जल शुल्क संग्रहण के अभाव में बड़े पैमाने पर जल उपभोक्ता संगठन गैर क्रियाशील रहे। इसी प्रकार, किसी भी जल उपभोक्ता क्षेत्र में वितरण एवं परियोजना समिति का गठन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, अधिनियम के अनुसार इन समितियों ने निर्दिष्ट कार्य, संपादित नहीं किये।
- अधिनियम की धारा 17 अपेक्षा करती है कि प्रत्येक सिंचाई मौसम के लिए जल उपभोक्ता संगठन द्वारा एक वाराबंदी कार्यक्रम¹³ तैयार एवं लागू किया जावेगा। इसके लिए, जल उपभोक्ता संगठन को कुछ रजिस्टर, सिंचाई प्रणाली की सूची एवं खाते आदि भी अनुरक्षित करने आवश्यक थे। यह देखा गया कि गठित किए गए किसी भी जल उपभोक्ता संगठन ने वाराबंदी कार्यक्रम तैयार नहीं किया था तथा अभिलेखों, रजिस्टरों, सिंचाई प्रणाली की सूची आदि की सत्यता जांचने के लिए विभाग में कोई तंत्र नहीं था।

राज्य सरकार ने बताया कि जल उपभोक्ता संगठन को वाराबंदी कार्यक्रम तैयार नहीं करना था अपितु वाराबंदी कार्यक्रम को लागू करना था। विभाग द्वारा मोटर

¹³ वाराबंदी कार्यक्रम जल उपभोक्ताओं को बारी-बारी से अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार जल वितरण की प्रणाली है जिसमें आपूर्ति का समय, अवधि एवं दिन निश्चित होता है।

पंपो की क्षमता एवं एच.डी.पी.ई. पाईपलाईन की डिजाईन के अनुरूप वाराबंदी कार्यक्रम तैयार किया गया था। उत्तर यथार्थपूर्ण नहीं था क्योंकि राजस्थान में सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में किसानों की भागीदारी का अधिनियम की धारा 17 यह अपेक्षा करती है कि वाराबंदी कार्यक्रम जल उपभोक्ता संगठन द्वारा तैयार एवं लागू किया जावेगा। जल उपभोक्ता संगठन ने उन क्षेत्रों में भी वाराबंदी कार्यक्रम लागू नहीं किया जिनमें डिगियां विद्युतीकृत हो चुकी थीं। वितरण एवं परियोजना समितियों के गठन पर राज्य सरकार ने कुछ नहीं बताया।

विभाग को, राजस्थान में सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में किसानों की भागीदारी का अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जल उपभोक्ता संगठनों, वितरण एवं परियोजना समितियों के गठन एवं जल उपभोक्ता संगठनों को परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.1.2.2 किसानों द्वारा मोटर पंपों द्वारा नहरों से सिंचाई हेतु पानी को उठाना

सहभागितापूर्ण सिंचाई प्रबंधन की कमी का एक परिणाम मुख्य नहर, वितरिकाओं एवं माइनरों से पानी की चोरी की समस्या था। नर्मदा नहर परियोजना में, फव्वारा अथवा ड्रिप का उपयोग करते हुए आवश्यक रूप से दबाव सिंचाई को अपनाया गया था। यह देखा गया कि नर्मदा मुख्य नहर एवं इसकी वितरिकाओं एवं माइनरों को नजदीकी किसानों से, जो कि मोटर पंपों द्वारा नहरों से पानी उठाकर अपने खेतों की सिंचाई करते थे, पानी की चोरी की समस्या का सामना करना पड़ा। अतः नर्मदा मुख्य नहर से मोटर पंपों एवं अन्य अतिक्रमणों को हटाने के लिए एक अभियान चलाया (28 अप्रैल से 30 अप्रैल 2016) गया तथा बड़ी संख्या में मोटर पंप/इंजन एवं पाईपों को जब्त किया गया। यह देखा गया कि वितरिकाओं एवं माइनरों से पानी की निकासी को रोकने के लिए ऐसा कोई अभियान नहीं चलाया गया जबकि ये भी पानी की चोरी की समस्या से ग्रस्त थे।

राज्य सरकार ने बताया कि नहर प्रणाली से सभी अतिक्रमणों को हटाने के अधिकतम प्रयास किये जा रहे थे।

विभाग को जल उपभोक्ता संगठनों के पूर्ण क्रियाशील होने तक किसानों द्वारा नहरों से सिंचाई हेतु जल को उठाने से रोकने हेतु निगरानी तंत्र विकसित करना चाहिए।

2.1.2.3 जल शुल्क का संग्रहण

राजस्थान में सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में किसानों की भागीदारी का अधिनियम की धारा 17 अपेक्षा करती है कि जल उपभोक्ता संगठन जल शुल्क की मांग तैयार करेंगे एवं संग्रह करेंगे। धारा 32 अपेक्षा करती है कि किसानों के संगठन की ओर देय या भुगतान योग्य सभी राशियों का, यदि मांग पर भुगतान नहीं किया गया हो तो उसको भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूला जायेगा।

यह देखा गया कि खण्ड-II एवं खण्ड-IV, सांचौर द्वारा क्रमशः ₹ 18.75 लाख एवं ₹ 60.80 लाख की बकाया मांग के बदले 2011-15 के दौरान केवल क्रमशः ₹ 0.17 लाख एवं ₹ 1.65 लाख की राशि की वसूली किसानों से हो पाई थी। खण्ड-V द्वारा जल शुल्क की मांग ही नहीं की गई थी तथा खण्ड-I एवं खण्ड-III के पास जल शुल्क संग्रहण की सूचना उपलब्ध नहीं थी।

अधिनियम की धारा 24 के अनुसार, किसानों के संगठन के कोष में, सरकार द्वारा कार्य क्षेत्र में वसूले गये जल कर में से हिस्सा राशि, अनुदान के रूप में शामिल होगी। यह देखा गया कि जल उपभोक्ता संगठन को जल कर का हिस्सा उपलब्ध कराने सम्बंधी कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया था। इसके अलावा, नर्मदा मुख्य नहर से सम्बंधित आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2011 से जून 2015 के मध्य 227.63 मिलियन घनमीटर¹⁴ से 597.01 मिलियन घनमीटर पानी प्राप्त किया गया था तथा 0.80 लाख से 2.15 लाख हैक्टर क्षेत्र सिंचित किया गया था। हालांकि, खण्ड-V द्वारा जल शुल्क की कोई मांग नहीं की गई तथा खण्ड-II एवं IV द्वारा केवल ₹ 1.82 लाख की राशि एकत्रित की गई।

राज्य सरकार ने बताया कि किसानों के मध्य अविश्वास एवं राजनीति की उपस्थिति के कारण, निर्वाचित निकाय के लिए जल शुल्क की वसूली एक कठिन कार्य था। आगे बताया कि जल शुल्क की वसूली के लिए परियोजना में पटवारी उपलब्ध नहीं थे। राज्य सरकार का उत्तर विभाग की समझाइस एवं निगरानी की कमी को प्रदर्शित करता है क्योंकि सहभागितापूर्ण प्रबंधन में जल शुल्क का संग्रहण एक मुख्य घटक था। वसूली के अभाव/कम वसूली से परियोजना के अनुरक्षण एवं स्थिरता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

¹⁴ मिलियन घनमीटर

2.1.2.4 सहभागितापूर्ण सिंचाई प्रबन्धन को मजबूत करने के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन नहीं किये गये

राजस्थान के किसानों की सिंचाई प्रणाली में भागीदारी नियम, 2002 पानी के वितरण की प्रवाह प्रणाली के लिए बनाये गये थे। नर्मदा नहर परियोजना में ड्रिप/फव्वारा सिंचाई प्रणाली अपनाई गयी जिसके तहत डिगियों के माध्यम से पानी को वितरित किया जाना था और जल उपभोक्ता समितियों को डिगियों से पानी के वितरण का प्रबन्धन करना था। इसलिए, परियोजना रिपोर्ट में कुछ संशोधन (परिशिष्ट 2.1) सुझाए गए थे जैसे डिगी के अनुसार जल उपभोक्ता समितियों का गठन, वितरण समितियों का गठन होने तक पूर्व-डिगी नहर के रखरखाव और मरम्मत के लिए जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी, सभी प्रकार की सलाह प्रदान करने के लिए सलाहकार समिति का गठन, आदि। नियमों में इन संशोधनों को किये जाने की आवश्यकता थी लेकिन किये नहीं गये। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया।

राज्य सरकार को जल उपभोक्ता समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए राजस्थान के किसानों की सिंचाई प्रणाली में भागीदारी नियम, 2002 में आवश्यक संशोधन करने चाहिए।

2.1.3 जल भराव को रोकने के लिए जैव-जल निकासी तथा सतही और भू-जल का संयुक्त उपयोग

परियोजना रिपोर्ट में नहर प्रणाली के किनारे तथा किसानों के खेतों की सीमाओं पर पेड़ों का वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया था। यह जैव-जल निकासी के लिए किसी भी अधिक भू-जल को बाहर निकालने के लिये आवश्यक था। इसके अलावा, जल भराव रोकने के लिए सीधी जल निकासी तथा सतही और भूमिगत जल के संयुक्त उपयोग का प्रस्ताव परियोजना के सिंचित क्षेत्र में लिया गया।

2.1.3.1 वृक्षारोपण के लक्ष्य की उपलब्धि का अभाव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने सुझाव दिया कि पर्यावरण कार्य योजना तैयार की जानी चाहिये। इसके अनुसरण में वेपकाँस द्वारा एक अध्ययन (सितम्बर 1998) किया गया। वेपकास ने पाया कि प्रवाह सिंचाई¹⁵ लागू होने से सिंचित क्षेत्रों में कुछ साल में जल भराव हो सकता है जो कृषि उत्पादन के लिए

¹⁵ यह सिंचाई की एक विधि है जिसमें पानी प्राकृतिक प्रवाह से प्रभाहित होता है।

गंभीर खतरा हो सकता है। इसलिए, निचले क्षेत्र में जल निकासी के लिए उनमें से एक उपाय यह है कि, निश्चित प्रजातियों¹⁶ के पेड़ नहर प्रणाली के किनारे लगाए जाएं। इन प्रजातियों की जड़ें गहरी होती हैं और अधिक भू-जल बाहर निकालने के लिए पर्याप्त मात्रा में जैव-जल निकासी प्रदान करती हैं। वृक्षारोपण के लिए योजना बनाने के उद्देश्य के लिए प्रवाह क्षेत्र के लिए 30 लीटर प्रतिदिन/प्रति पेड़ तथा नेड़ क्षेत्र के लिए 20 लीटर प्रतिदिन/प्रति पेड़ के औसत पानी के उपयोग का प्रस्ताव रखा गया। परियोजना रिपोर्ट में नहर के किनारे वृक्षारोपण के लिए ₹ 74.88 करोड़ का प्रावधान किया गया।

यह देखा गया कि वृक्षारोपण के लिए बाडमेर के लिए ₹ 9.57 करोड़ और जालौर के लिए ₹ 37.46 करोड़ आवंटित बजट के विरुद्ध दिसम्बर 2010 और जनवरी 2016 की अवधि के बीच क्रमशः ₹ 5.11 करोड़ तथा ₹ 17.75 करोड़ का उपयोग किया गया। इसके अलावा, मुख्य नहर, वितरिकाओं और माइनर्स के किनारे वृक्षारोपण के लिए उप वन संरक्षक बाडमेर तथा उप वन संरक्षक जालौर के लिये भौतिक लक्ष्य 3941 कि. मी. तय किये गये (जुलाई 2011) जो 2012-13 तक हासिल करने थे। तय लक्ष्य के विरुद्ध, मार्च 2016 तक केवल 1977 किमी (50.67 प्रतिशत) वृक्षारोपण किया गया। इसके अलावा, परियोजना रिपोर्ट में उल्लेखित प्रजातियों से भिन्न अन्य प्रजातियों का रोपण किया गया।

कम वृक्षारोपण तथा परियोजना रिपोर्ट में उल्लेखित प्रजातियों से भिन्न प्रजातियों के वृक्षारोपण के कारण, सिंचित क्षेत्र में जैव-जल निकासी का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा जैव-जल निकासी के उद्देश्य के संदर्भ में पेड़ों की विशिष्ट प्रजाति के वृक्षारोपण की निगरानी नहीं रखी।

मुख्य अभियंता, नर्मदा नहर परियोजना, सांचौर ने कहा (मई 2016) कि वृक्षारोपण कार्य के लिए बजट आवंटन सीधा ही वन विभाग को आवंटित किया गया था। इसलिए, पौधों की संख्या तथा प्रजाति वन विभाग द्वारा ही निश्चित की गयी थी। उप वन संरक्षक, जालौर ने कहा (जून 2016) कि बजट आवंटन के अनुरूप वृक्षारोपण किया गया। उत्तर विश्वसनीय नहीं थे क्योंकि विशिष्ट प्रजातियों के रोपण का उद्देश्य जैव-जल निकासी सुनिश्चित करना था। वन विभाग की इस सम्बन्ध में जिम्मेदारी स्थानान्तरण करके, जल संसाधन विभाग परियोजना के निगरानी और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता है। इसके अलावा, उप वन संरक्षक, जालौर द्वारा बजट आवंटन का केवल 47 प्रतिशत ही वृक्षारोपण के

¹⁶ अर्जुन, बबूल, जंगली कीकर, फरास, खेजड़ी इत्यादि

लिए उपयोग किया गया जो अपर्याप्त वृक्षारोपण को दर्शाता है। राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

2.1.3.2 भूमिगत और सतही पानी का संयुक्त उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया

सिंचित क्षेत्र में उच्च स्थिर भू जल की सतह, खारी/क्षारीय मिट्टी और नहर सिंचाई की शुरुआत से, वहां कुछ वर्षों के भीतर जल भराव की एक बड़ी समस्या की सम्भावना थी। इसलिये वेपकॉस ने प्रस्तावित किया (अगस्त 2007) कि निचले क्षेत्र की जल निकासी के उपायों में से एक सतही और भूमिगत जल का संयुक्त उपयोग हो सकता है। इससे सिंचाई सुविधा लागू होने के कारण होने वाला सम्पूर्ण वार्षिक भूमिगत जल पुनर्भरण, बाहर आ जावेगा। सिंचित क्षेत्र में सतही और भूमिगत जल के 30:70 अनुपात के संयुक्त उपयोग का एक अनिवार्य प्रावधान प्रस्तावित किया गया। किसानों द्वारा भूमिगत जल के साथ सतही जल का उपयोग सीधी निकासी तथा जल सतह की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाना था। परियोजना रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि किसानों को अपने खेतों में भूमिगत जल उपयोग के लिए कुएं खोदने होंगे तथा फव्वारा पाईप के माध्यम से डिग्गी से सतही जल को काम में लेंगे। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, भूमिगत जल को बाहर निकालने के लिए अपेक्षित कुओं की संख्या के विरुद्ध मौजूदा डग कम बोर कुओं की स्थिति निम्नप्रकार थी:

विवरण	प्रवाह क्षेत्र ¹⁷		लिफ्ट क्षेत्र ¹⁸	योग
	सामान्य	नेड		
जोन क्षेत्र में आवश्यक डग कम बोर कुओं की संख्या	5063	3428	9134	17625
मौजूदा कुओं की संख्या	3068	87	3694	6849
आवश्यक कुओं की संख्या में अंतर	1995	3341	5440	10776

स्रोत: परियोजना प्रतिवेदन एवं मुख्य अभियंता, नर्मदा नहर परियोजना, सांचौर द्वारा प्रदत्त सूचना।

उपरोक्त स्थिति संकेत करती है कि बड़ी संख्या में कुओं को खोदने की आवश्यकता थी। परियोजना रिपोर्ट में यह परिकल्पित किया गया था कि किसानों को अधिक कुएं खोदने तथा भूजल का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए

¹⁷ क्षेत्र जिसमें पानी प्राकृतिक प्रवाह से प्रवाहित होता है।

¹⁸ क्षेत्र जिसमें पानी निम्न क्षेत्र से उच्च क्षेत्र को पम्प की सहायता से उठाया जाता है।

प्रेरित किया जाएगा। यह भी देखा गया कि विभाग द्वारा सतही तथा भूजल के संयुक्त उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

राज्य सरकार ने कहा कि परियोजना में सीमित स्टाफ की उपलब्धता के कारण, परियोजना क्षेत्र में मौजूदा कुओं की संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। उत्तर स्वयं संकेत करता है कि जल भराव को रोकने के लिए सतही तथा भूजल का संयुक्त उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया।

यह सिफारिश की जाती है कि निर्दिष्ट प्रजातियों के पेड़ों के रोपण के अलावा परियोजना रिपोर्ट के प्रावधानों के अनुसार भूजल तथा सतही जल का संयुक्त उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

2.1.3.3 भूमिगत जल की गुणवत्ता और पुर्णभरण की निगरानी नहीं करना

परियोजना रिपोर्ट के अनुच्छेद 17.23 में परियोजना क्षेत्र में भूमिगत जल की गुणवत्ता एवं पुर्णभरण की नियमित निगरानी के लिए पीजोमीटर कुओं की स्थापना की परिकल्पना की गयी थी। इस प्रयोजन के लिए, परियोजना रिपोर्ट में परियोजना के सिंचित क्षेत्र में 277 पीजोमीटर कुओं की स्थापना के लिए ₹ 2.14 करोड़ का प्रावधान रखा गया था लेकिन पीजोमीटर कुओं की स्थापना नहीं की गई।

राज्य सरकार ने कहा कि भूजल के स्तर को भूजल विभाग द्वारा मापा जा रहा था। विभाग ने यद्यपि सूचित किया (जून 2016) कि पीजोमीटर कुओं की स्थापना नहीं की गयी थी। उत्तर में यह वर्णित नहीं किया गया कि बिना पीजोमीटर कुओं की स्थापना किये, परियोजना क्षेत्र में भूजल की गुणवत्ता और पुर्णभरण की निगरानी कैसे रखी जा रही थी।

2.1.4 अनुबन्ध प्रबन्धन

2.1.4.1 अतिरिक्त लेमिना के निर्माण पर परिहार्य व्यय

अरनियाली लिफ्ट माइनर किमी 16.700 से 17.000 पर अतिरिक्त लेमिना¹⁹ के निर्माण कार्य के तकनीकी प्राक्कलन राशि ₹ 38.64 लाख को अधिशाषी अभियन्ता, नर्मदा नहर परियोजना, खण्ड IV, सांचौर द्वारा स्वीकृत किया गया (जुलाई 2014)। तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार, अतिरिक्त लेमिना तैयार करने का कारण यह था कि इस विशेष रीच में नहरी हिस्सा भारी फिलिंग²⁰ में था तथा

¹⁹ कार्बनिक अथवा अन्य पदार्थ की अवसादी शैल की परत

²⁰ तीन मीटर से अधिक मिट्टी का भराव

क्षेत्र में तेज हवाओं के बहने से नहर के किनारे क्षतिग्रस्त हो गये थे। अतिरिक्त लेमिना का कार्य पूरा कर लिया गया (दिसम्बर 2014) तथा संवेदक को राशि ₹ 38.34 लाख का भुगतान किया गया (फरवरी 2015)।

अधीक्षण अभियन्ता, नर्मदा नहर परियोजना, वृत-II के मुख्य अभियन्ता, नर्मदा नहर परियोजना, सांचौर के साथ किये गये पत्र व्यवहार (14 जून 2013) में पाया गया कि ऊपर कथित कारण तथ्यों पर आधारित नहीं थे। अतिरिक्त लेमिना लेने का मुख्य कारण यह था कि नहर साईफन²¹ के लिए परिकल्पित शुद्ध हेड का अन्तर 0.640 मीटर²² निकाला गया जबकि स्थल पर यह अन्तर केवल 0.380 मीटर था। जिसके कारण नहर साईफन के माध्यम से पानी डिजाइन प्रवाह से बह नहीं सका था। यह भी देखा गया कि अतिरिक्त लेमिना के निर्माण के लिए किया गया निर्णय इस समस्या का केवल अस्थायी समाधान था तथा उपचारात्मक समाधान के लिए राशि ₹ 3.70 करोड़ का प्राक्कलन अगस्त 2014 में अनुमोदन के लिए अधीक्षण अभियन्ता, नर्मदा नहर परियोजना, वृत-II, सांचौर को भेजा गया था। जिसका अनुमोदन अक्टूबर 2016 तक लम्बित था। यदि नहर को ठीक से डिजाइन किया जाता तो अस्थायी रूप में किये गये ₹ 38.34 लाख के व्यय से बचा सकता था। इसके अतिरिक्त, नहर की दोषपूर्ण डिजाइन के लिए जिम्मेदारी तय करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

राज्य सरकार ने कहा कि नहर के किनारों को स्थिर और सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त लेमिना का कार्य किया गया था। उत्तर यथार्थपूर्ण नहीं था जैसा कि ऊपर कहा गया है, यदि नहर के किनारों का निर्माण उचित डिजाइन के पश्चात किया जाता तो अतिरिक्त लेमिना की आवश्यकता नहीं होती।

2.1.4.2 अनुबन्ध के क्लाज 2 और 5 के अधीन कार्यवाही का अभाव

अनुबन्ध के क्लाज 2 के अधीन, संवेदक कार्य की यथानुपात प्रगति को बनाए नहीं रखने के लिए क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए जिम्मेदार था। क्लाज 5 के अधीन, कार्य के निष्पादन में अपरिहार्य बाधा के आधार पर, संवेदक बाधा की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रभारी अभियन्ता को कार्य पूरा करने के लिए समय के विस्तार के लिए आवेदन करेगा। सक्षम प्राधिकारी संवेदक से आवेदन प्राप्त होने

²¹ निचले स्तर पर एक कन्टेनर से दूसरे तक तरल खीचने के लिए इस्तेमाल की गयी नाली

²² नहर किमी 17.000 (45.555 मीटर) तथा किमी 18.850 (44.915 मीटर) के पूर्ण भण्डारण स्तर का अन्तर

की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर इस तरह के विस्तार की अनुमति देगा और कार्य के पूरा होने की प्रतीक्षा नहीं करेगा।

यह देखा गया है कि 18 कार्य (परिशिष्ट 2.2) पूरा होने की निर्धारित तिथि के समाप्त होने के बाद भी प्रगतिरत थे। यद्यपि, विभाग द्वारा संवेदक के विरुद्ध कार्य की यथानुपात प्रगति नहीं बनाए रखने पर क्लाज 2 के तहत न तो कार्यवाही की गयी तथा न ही अनुबन्ध के क्लाज 5 के तहत कोई समय विस्तार प्रदान किया गया।

राज्य सरकार ने कहा कि 18 में से 12 कार्य परीक्षण के लिए बिजली उपलब्ध नहीं कराने के कारण लम्बित थे। पांच कार्यों में सिविल कार्यों के साथ-साथ यांत्रिक कार्य प्रगति पर थे तथा एक कार्य के सम्बन्ध में, समय विस्तार पर विचार किया जा रहा था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि अनुबन्ध के प्रावधान के अनुसार अवधि-अनुसार समय विस्तार प्रदान करना चाहिए था अथवा संवेदक को कार्य की अवधि-अनुसार प्रगति बनाए नहीं रखने के लिए दण्डित करना चाहिए था।

इसी प्रकार, नर्मदा नहर परियोजना की बालेरा वितरिका, (ऑफ टेकिंग किमी 16 से) की विभिन्न माइनर, सब-माइनर तथा वांक वितरिका (ऑफ टेकिंग किमी 7.88 से) की बासन सब-माइनर के कार्यों²³ का निष्पादन टर्न-की आधार पर संवेदक²⁴ को ₹ 12.48 करोड़ में आवंटित किया गया था। कार्य प्रारम्भ तथा समाप्त करने की निर्धारित तिथि क्रमशः 22 दिसम्बर 2011 तथा 21 दिसम्बर 2012 थी। विभाग द्वारा कई नोटिस जारी करने के बावजूद संवेदक कार्य को शुरू करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा अनुबन्ध के क्लाज 2 के अधीन संवेदक पर ₹ 1.25 करोड़ की शास्ति लगायी गई (अगस्त 2012)। अनुबन्ध के क्लाज 3(सी) के अधीन संवेदक से जोखिम और लागत पर कार्य पूरा करने की भी कार्यवाई की गयी। यह पाया गया कि बयाना राशि में से ₹ 7.65 लाख शास्ति की राशि वसूल कर ली गई तथा शेष राशि ₹ 1.17 करोड़ संवेदक से अभी तक वसूल करने थे (अक्टूबर 2016)।

²³ मिट्टी का कार्य, एकल पीसीसी ब्लॉक लाइनिंग, पक्का स्ट्रक्चर, पम्प रूम, सम्पवेल तथा सप्लाईंग, लेइंग, जोइन्टिंग, टेस्टिंग एण्ड कमिशनिंग ऑफ डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क, डिजाइनिंग तथा मेकेनिकल कार्य ले आउट सहित

²⁴ मै. बैकॉ कन्सट्रक्शन, ग्वालियर

राज्य सरकार ने कहा है कि लोक मांग वसूली (पीडीआर) अधिनियम के अधीन संवेदक से शेष राशि ₹ 1.17 करोड़ की वसूली के लिए कार्यवाही की जा रही है।

2.1.4.3 गलत बेसिक अनुसूची दर के स्वीकार करने के कारण अधिक भुगतान

कोथरा लिफ्ट माइनर किमी 0.400 तथा गुढामालानी लिफ्ट माइनर किमी 17.100 पर पंमिंग स्टेशन के निर्माण का कार्य ₹ 1.41 करोड़ में आवंटित किया गया (अगस्त 2009)। कार्य ₹ 1.01 करोड़ की लागत से पूरा किया गया (नवम्बर 2011)।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि पंमिंग स्टेशनों के निर्माण के दौरान, मिट्टी की खुदाई (29747.73 घमी) का भुगतान सार्वजनिक निर्माण विभाग की बेसिक अनुसूची दर (बीएसआर), 2008 के आधार पर किया गया। मिट्टी के कार्य की दर सार्वजनिक निर्माण विभाग की बीएसआर की तुलना में जल संसाधन विभाग की बीएसआर से अधिक थी, परिणामस्वरूप, संवेदक को ₹ 25.12 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

राज्य सरकार ने कहा है कि जल संसाधन विभाग की बीएसआर में स्पष्ट दिया गया है कि भवन कार्यों के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की बीएसआर में दी गई दरें लागू होंगी तथा पंमिंग स्टेशन का निर्माण कार्य एक भवन कार्य है, इसलिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की बीएसआर की दरें लागू की गयी थी। आगे यह भी कहा गया कि यदि जल संसाधन विभाग की बीएसआर को लागू करते तो विभाग को खुदाई की गयी मिट्टी के निस्तारण के लिए अतिरिक्त लीड देनी होती। उत्तर यथार्थपूर्ण नहीं था क्योंकि पंमिंग स्टेशन के मामले में मिट्टी का कार्य बड़े क्षेत्र में किया गया था न कि नीव में जैसा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की बीएसआर में दिया गया है। इसके अलावा, दोनों बीएसआर में प्रारम्भिक लीड के समान प्रावधान थे इसलिए, सार्वजनिक निर्माण विभाग की बीएसआर को लागू करना सही नहीं था।

2.1.4.4 सीमेंट कंक्रीट कार्यों के लिए मिक्स डिजाइन परीक्षण आयोजित नहीं करना

संविदा की विशिष्ट शर्त के क्लाज 4.5 कहता है कि प्रारम्भिक टेस्ट के आधार पर कंक्रीट मिश्रण डिजाइन किया जावेगा।

विभिन्न संवेदकों को आंवटित कार्यों²⁵ में, कंक्रीट मिश्रण सामग्री में सामग्री अर्थात् सीमेन्ट, पानी, बजरी तथा एग्रीगेट का अनुपात प्राक्कलनों में पूर्व निर्धारित किया गया था। लेकिन, प्रारम्भिक परीक्षण नहीं किये गये थे तथा कंक्रीट मिश्रण तदानुसार डिजाइन नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने कहा कि संविदा में जहाँ सीमेन्ट कंक्रीट कम मात्रा में थी, डिजाईन मिक्स के प्रावधान अव्यवहारिक होने के कारण अनुबन्ध में शामिल नहीं किये गये थे। इसके अलावा, जहाँ सीमेन्ट की खपत प्रति घन मीटर का न्यूनतम स्तर 250 किलोग्राम से कम था, मिक्स डिजाईन आयोजित नहीं करना था। उत्तर यथार्थपूर्ण नहीं था क्योंकि, अनुबन्ध में उपरोक्त मानदण्ड शामिल किए जाने के बावजूद कंक्रीट मिक्स डिजाइन नहीं किया गया था। कंक्रीट मिक्स के डिजाइन के अभाव में, सामग्री के सही अनुपात यथा कंक्रीट की विशिष्ट शक्ति, व्यवहार्यता और स्थायित्व सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था।

2.1.5 वित्तीय नियंत्रण और निगरानी

नर्मदा नहर परियोजना के लिए निधि को पूँजीगत शीर्ष के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित बजट आवंटन के माध्यम से प्रदान किया जाता है। भारत सरकार से भी त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय सहायता के रूप में निधि प्राप्त की जाती है।

2.1.5.1 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से अंश लागत की कम प्राप्ति

परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पित किया गया कि पेयजल आपूर्ति योजना के लिए नर्मदा के पानी के उपयोग के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अंश लागत ₹ 246.65 करोड़ देय थी। अभिलेखों की जाँच से प्रकट हुआ कि अंश लागत के विरुद्ध, केवल ₹ 10 करोड़ ही नर्मदा नहर परियोजना शीर्ष को समायोजित किया गया, ₹ 100 करोड़ नर्मदा नहर परियोजना खण्ड-I सांचौर में शीर्ष 8443 निक्षेप-III के अधीन अप्रैल 2013 से असमायोजित पड़े हुए थे तथा ₹ 136.65 करोड़ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से प्राप्त नहीं हुए।

विभाग ने कहा कि इसके अतिरिक्त, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से ₹ 5 करोड़ और प्राप्त हुए तथा ₹ 131.65 करोड़ की शेष राशि की वसूली के लिए राज्य सरकार के स्तर पर प्रयास किये जा रहे थे।

²⁵ विभिन्न वितरिकाओं/माईनर/सब-माईनर के मिट्टी का कार्य, पक्का स्ट्रक्चर तथा एकल पीसीसी ब्लॉक लाइनिंग एवं डिगियों, पम्प रूम, सम्पवेल, बाउण्डरी वाल इत्यादि का निर्माण

2.1.5.2 निधियों का विपर्यय

परियोजना रिपोर्ट में बिना प्रावधानों के मदों पर व्यय

जैव-जल निकासी के माध्यम से भूजल पुनर्भरण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मुख्य नहर, वितरिकाओं और माइनर के दोनों तरफ पेड़ों के वृक्षारोपण के प्रावधान परियोजना रिपोर्ट के एम-वृक्षारोपण उप शीर्ष के अधीन लिये गये थे।

अभिलेखों की जाँच से प्रकट हुआ कि भवनों जैसे सहायक वन संरक्षक का निवास, वन चौकी, वनपाल का कार्यालय इत्यादि के निर्माण तथा वाहनों, कम्प्यूटर और प्रिंटर के क्रय पर ₹ 1.22 करोड़ व्यय किया गया जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है, को एम-प्लानटेशन उप शीर्ष में उपगत किया गया जिसके लिए परियोजना रिपोर्ट में कोई प्रावधान नहीं था।

(₹ लाखों में)

क्र.स.	कार्य का नाम	उप वन संरक्षक बाड़मेर	उप वन संरक्षक जालौर
1	भवन निर्माण	12.52	53.21
2	वाहन	14.02	29.96
3	कार्यालय और संचार प्रबन्धन	1.00	10.96
कुल		27.54	94.13

स्रोत: उप वन संरक्षक बाड़मेर व जालौर द्वारा प्रदत्त सूचना

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने सितम्बर 2014 में विभाग को इन मदों पर किसी प्रकार के व्यय को उपगत नहीं करने के निर्देश दिये थे, लेकिन इससे पहले ही उपर्युक्त राशि ₹ 1.22 करोड़ उपरोक्त मदों पर व्यय कर दी गयी थी जिसके परिणामस्वरूप परियोजना पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा।

2.1.5.3 निगरानी में चूक के कारण बैंक प्रत्याभूति की समाप्ति

अधिशाषी अभियन्ता, नर्मदा नहर परियोजना, खण्ड V, सांचौर द्वारा भीमगुडा वितरिका के मिट्टी का कार्य, पक्का स्ट्रक्चर तथा ब्लॉक लाईनिंग के निषादन का कार्य संबेदक²⁶ को ₹ 19.67 करोड़ में आवंटित किया गया। कार्य 18 जून

²⁶ मै. मेपा भाई मंडन (अब एमएमसी प्रोजेक्ट), गांधीधाम

2007 तक पूर्ण होना था। संवेदक फर्म ने सुरक्षा निक्षेप के समर्थन में बैंक ऑफ बड़ौदा, केएफटीजेड शाखा (कच्छ) द्वारा जारी ₹ 75.00 लाख (दिसम्बर 2006) व ₹ 50 लाख (फरवरी 2007) की बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत की। बैंक गारन्टी 18 जून 2008 तक वैध थी।

जल संसाधन विभाग ने कार्य के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि को 28 फरवरी 2008 तक बढ़ा दी (अक्टूबर 2007)। संवेदक फर्म ने कार्य पूरा नहीं किया तथा इस तरह अनुबन्ध के क्लाज 2 के अधीन ₹ 35.17 लाख की शास्ति लगायी गयी तथा अनुबन्ध के क्लाज 3(सी) के अधीन संवेदक के जोखिम और लागत पर कार्य पूर्ण करने की कार्यवाही की गयी (जनवरी 2011)। शेष कार्य ₹ 9.33 करोड़ में दूसरे संवेदक को आवंटित किया गया।

बैंक प्रत्याभूति की वैधता, हांलाकि, 18 जून 2008 के बाद तक नहीं बढ़ाई गयी थी। बैंक ने बैंक प्रत्याभूति के नकदीकरण से यह कहते हुए मना कर दिया कि बैंक प्रत्याभूति की वैधता की अवधि के समाप्त होने के बाद भुगतान करने की उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। यदि बैंक प्रत्याभूति का नवीकरण यथासमय किया गया होता, तो अनुबन्ध की धारा 3(सी) के अधीन आरोपित शास्ति राशि ₹ 6.18 करोड़ में से ₹ 1.25 करोड़ की वसूली हो सकती थी।

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम 595 के नीचे टिप्पणी-1 उपबन्धित करती है कि बैंक प्रत्याभूति रजिस्टर खण्ड कार्यालय में खण्ड अधिकारी की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखा जायेगा व अवधि के बढ़ाये जाने या प्रतिभूति के नकदीकरण के लिए समय पर कार्रवाई, जो अपेक्षित हो, करने के लिए, रजिस्टर का पुनर्विलोकन करेगा। सम्बन्धित अधिकारी के स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गयी।

राज्य सरकार ने कहा कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रगतिरत थी।

2.1.5.4 बाढ़ के कारण नुकसान के लिए जाँच आयोजित नहीं करना

आपदा प्रबंधन और राहत विभाग, राजस्थान द्वारा 2015 में मानसून के मौसम में भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त मुख्य नहर/वितरिका के नुकसान के तत्काल राहत/पुनर्वास के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी थी (अक्टूबर 2015)।

राज्य सरकार द्वारा ₹ 15.96 करोड़ का बजट आवंटन किया गया (मार्च 2016)। वर्ष 2015-16 के दौरान बाढ़ से क्षतिग्रस्त नहरों के तत्काल मरम्मत और पुनर्वास पर जारी स्वीकृति के विरुद्ध ₹ 15.87 करोड़ का व्यय उपगत किया गया।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली के नियम 21 के अनुसार बाढ़ चक्रवात, आग, भूकंप इत्यादि के मामलों में हानि की मात्रा तथा सीमा के बारे में जांच आयोजित किया जाना चाहिए तथा इसकी रिपोर्ट सम्बन्धित विभाग/सरकार को प्रस्तुत की जानी चाहिए। यद्यपि यह देखा गया है कि इस तरह की कोई जांच आयोजित नहीं की गयी तथा विभाग ने भी बाढ़ के कारणों की जांच के लिए और भविष्य में पुनरावृति को रोकने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया।

2.1.5.5 प्रशासनिक निरीक्षण

जल संसाधन की नियमावली मैनुअल के अनुच्छेद 3.4.9 तथा 3.5.5 उपबन्धित करते हैं कि अधीक्षण अभियन्ता तथा अधिशाषी अभियन्ता सभी महत्वपूर्ण तथा प्रमुख निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। विभाग ने परिपत्र जारी कर कार्यों के निरीक्षण तथा मुख्यालय से बाहर रात्रि विश्राम के लिए वार्षिक मानदण्डों²⁷ को तय किया। मानदण्डों के विरुद्ध उपलब्धियों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है

तालिका 1: निरीक्षण और रात्रि विश्राम के सम्बन्ध में मानदण्डों के विरुद्ध उपलब्धिका विवरण

वर्ष	उपलब्धि (निरीक्षण)			उपलब्धि (रात्रि विश्राम)		
	अअ- II (कमी का प्रतिशत)	अअ- IV (कमी का प्रतिशत)	अअ- V (कमी का प्रतिशत)	अअ- II (कमी का प्रतिशत)	अअ- IV (कमी का प्रतिशत)	अअ- V (कमी का प्रतिशत)
2011-12	88(8.33)	75(21.88)	96(-)	24(66.67)	35(63.54)	72(-)
2012-13	91(5.21)	81(15.63)	96(-)	22(69.45)	56(22.23)	72(-)
2013-14	88(8.03)	72(25.00)	101(-)	24(66.67)	71(1.39)	11(84.73)
2014-15	86(10.42)	48(50.00)	113(-)	30(58.34)	40(44.45)	52(27.78)
2015-16	89(7.30)	102(-)	84(12.5)	28(61.11)	72(-)	77(-)

स्रोत: मुख्य अभियन्ता, नर्मदा नहर परियोजना, सांचौर द्वारा प्रदत्त सूचना।

²⁷ कार्यों के निरीक्षण के मानदण्ड मुख्य अभियन्ता-30, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-90, अधीक्षण अभियन्ता-90, अधिशाषी अभियन्ता-96 तथा रात्रि विश्राम के लिए मानदण्ड मुख्य अभियन्ता-20, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-60, अधीक्षण अभियन्ता-60, अधिशाषी अभियन्ता-75

2011-16 के दौरान, अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा निरीक्षण तथा रात्रि विश्राम के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये। खण्ड-II की रात्रि विश्राम की कमी 58.34 से 69.45 प्रतिशत थी; खण्ड-IV की कमी 63.54 प्रतिशत तक थी; तथा खण्ड-V में यह 84.73 प्रतिशत तक थी। अधीक्षण अभियन्ताओं, तथा अधिशाषी अभियन्ता-I और अधिशाषी अभियन्ता-III ने सूचनाएं प्रदान नहीं की।

राज्य सरकार ने कहा कि सभी अभियन्ता मानदंडों के अनुसार काम का निरीक्षण कर रहे थे। उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि नर्मदा नहर परियोजना के विभिन्न खण्डों में संधारित अभिलेख निरीक्षण/रात्रि विश्राम में कमी दर्शाते हैं।

2.1.6 निष्कर्ष

कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के परिणामस्वरूप कार्य पूरा होने की अवधि में 2003 से 2013 तक विस्तार हुआ तथा पांच बार से अधिक बार कुल लागत में वृद्धि हुई है। मार्च 2016 तक विभिन्न गतिविधियों जैसे वितरिका, मार्झनर तथा सब-मार्झनर के सिविल कार्य; भूमि अधिग्रहण; मिट्टी के कार्य; यांत्रिक कार्य जैसे पाइपलाईन की आपूर्ति, बिछाने, जोड़ने, चालू करना तथा मोनो ब्लॉक पम्प सेट की स्थापना करना; एवं डिगियाँ के बिजली के कनेक्शन के कार्य मार्च 2016 तक पूर्ण नहीं किये गये।

मार्च 2016 तक 2.15 लाख हैक्टर (87.40 प्रतिशत) सिंचित क्षेत्र दिखाया गया जबकि केवल 1193 डिगियाँ (55 प्रतिशत) का ही विद्युतीकरण किया गया। इससे यह पता चलता है कि दिखाया गया सिंचित क्षेत्र वास्तव में फव्वारा अथवा ड्रिप सिंचाई प्रणाली से सिंचित नहीं किया गया था, जो कि परियोजना का प्रमुख तत्व था। किसानों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के बजाय अपने स्वयं के पानी के पम्प से व्यवस्था कर मार्झनर से पानी लेते हुए क्षेत्र को सिंचित किया गया, जिसको गलत ढंग से सिंचित कृषि क्षमता क्षेत्र की उपलब्धियों के रूप में शामिल किया गया था। नहर, वितरिकाओं, मार्झनर तथा सब-मार्झनर के निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि को जल संसाधन विभाग के नाम पर उत्परिवर्तन नहीं किया गया था।

2236 जल उपभोक्ता संघ का गठन किया जाना था, उनमें से केवल 2145 का ही गठन किया गया तथा 1885 संघों को परिसम्पत्तियाँ जैसे डिगियाँ, पाईपलाईन तथा मोनो ब्लॉक पम्प सौंप दिये गये थे। किसी भी जल उपभोग क्षेत्र में वितरिका तथा परियोजना समिति का गठन नहीं किया गया था। डिगियाँ के विद्युतीकरण (45 प्रतिशत) तथा जल प्रभार के संग्रह के अभाव में जल उपभोक्ता संघ बड़े पैमाने पर गैर कार्यात्मक रहे हैं। सहभागितापूर्ण सिंचाई प्रबंधन को मजबूत

करने के लिए राजस्थान में किसानों की सिंचाई प्रणाली में भागीदारी अधिनियम, 2000 के नियमों में आवश्यक संशोधन नहीं किये गये थे। भागीदारी प्रबंधन में जल प्रभार की बसूली एक महत्वपूर्ण तत्त्व था तथा बसूली का अभाव/कम बसूली विभाग द्वारा निगरानी की कमी का संकेत देती है। इसके अलावा, इसमें रखरखाव और परियोजना की स्थिरता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। नर्मदा मुख्य नहर तथा इसकी वितरिकाओं एवं माईनर के पास के किसानों, जो नहरों से मोटर पम्पों द्वारा पानी उठा कर अपने खेतों को सिंचित करते हैं, द्वारा पानी की चोरी की समस्या का सामना करना पड़ा।

कम वृक्षारोपण तथा परियोजना रिपोर्ट में उल्लिखित प्रजाति से भिन्न प्रजाति के पौधों के रोपण के कारण सिंचित क्षेत्र में जैव-जल निकासी उपलब्ध कराने के उद्देश्य पर प्रतिकूल असर पड़ा। परियोजना प्राधिकारियों ने जैव-जल निकासी के सन्दर्भ में पेड़ों की विशिष्ट प्रजाति के वृक्षारोपण की निगरानी नहीं रखी। निचले क्षेत्र की जल निकासी के लिए सतह और भूमिगत जल का संयुक्त उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।